न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 06/2026
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026/58
अनवान

1. श्रीमती इन्द्रादेवी धर्मपत्नी प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी जाखल तहसील सांचौर।

प्रार्थीया...............

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।
2. हल्का पटवारी, पटवार मण्डल जाखल तहसील सांचौर।

अप्रार्थीगण..........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 16.02.2026

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद, चेतन कुमार, सुरेश पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांक :–13.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने वाके सरहद मौजा जाखल के खेत खसरा संख्या 228 रकबा 2.70 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि तत्कालीन खातेदारान् अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पिसरान् रवा जातियान मेघवाल निवासी केरिया से दिनांक 18.10.2019 को जरिये बैचान दस्तावेज के बऐवज रूपये आठ लाख बीस हजार में उत्तर में नर्मदा नहर, दक्षिण में वगता वगैरह। पूर्व में खसरा संख्या 248 व 249, पश्चिम में खसरा संख्या 229, 230, 231 उपरोक्त चारो पड़ोसीयान् के बीच की भूमि व साथ में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया अनुसार रकबा 2.05 हैक्टेयर खरीद कर उसी रोज कब्जा प्रार्थीया ने प्राप्त किया उक्त बैचान दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी को बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की जिस पर नामान्तरकरण संख्या 741 अनुसार प्रार्थीया द्वारा खरीद की गई भूमि रकबा 2.05 हैक्टेयर का अलग से रकबा दर्ज न कर

(सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

बैचानकर्ता के साथ संयुक्त रूप से प्रार्थीया का हिस्सा 41 / 54 भुलवंश, त्रुटिवंश दर्ज कर भूमि को बैचान दस्तावेज में दर्शित पडोंसान अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे में तरमीम नही की जो एक मानवीय व लिपिकीय भूल है जिसे सुधारा जाना न्याय संगत है। उक्त आराजी तत्कालीन खातेदारान् द्वारा प्रार्थीया को रकबा 2.05 हैक्टेयर बैचान करने के पश्चात् बैचानकर्ताओं के खाते में रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि शेष रही जिसमे से रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया को बैचान करने से पूर्व सन् 2008–2009 में नर्मदा नहर में अवाप्त हो जाने के पश्चात् बैचानकर्ताओ के खाते में रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि शेष रहने पर उक्त 0.29 हैक्टेयर भूमि श्रीमति वतीदेवी, श्रीमति लंवगादेवी को बैचान करने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 916 को वतीदेवी व लवंगादेवी के नाम स्वीकृत हुआ तथा रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि नहर में अवाप्त होने पर अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम ने दिनांक 18.01.2011 को मुआवजा राशि प्राप्त की अनोपाराम वगैरह का कोई हिस्सा शेष नहीं रहने पर तथा शेष भूमि के खसरा संख्या 2087 / 228 रकबा 2.04 हैक्टेयर, 2088 / 228 रकबा 0.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि के नये खसरे नवसृजित किये गये किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः भुलवंश, त्रुटिवंश अनोपाराम, केवलचंद, जयरूपाराम, नवाराम का हिस्सा न होने हुए इनका प्रत्येक का 1 / 30, 1 / 30 वां हिस्सा दर्ज कर देने से प्रार्थीया के खाते में रकबा 0.274 हैक्टेयर भूमि तथा लवंगादेवी व वतीदेवी के खाते में रकबा 0.038 हैक्टेयर कत दर्ज कर दी जिसे सुधारा जाकर प्रार्थीया के बैचान दस्तावेज में दर्शित पाड़ोसान अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जाकर रकबा 2.05 हैक्टेयर अलग दर्ज किया जाना न्यायसंगत होने से प्रार्थना पत्र पेश है तथा उक्त खरीदसुदा आराजी पर लिखी गई के.सी.सी. की के.वा.सी. करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी ने कहा कि प्रार्थीया का आराजी में रकबा 2.05 हैक्टेयर न होकर रकबा 1.7766 हैक्टेयर तब प्रार्थीया को पुख्ता जानकारी होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा जाखल के खसरा संख्या 228 रकबा 2.70 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2087 / 228 रकबा 2.04 हैक्टेयर, 2088 / 228 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 18.10.2019 को बैवान दस्तावेज में पाडोयान अनुसार रकबा 2.05 हैक्टेयर की आराजी का अलग से तरमीम करने का तथा उक्त आराजी में भूलवंश, त्रृटिवंश अनोपाराम, केवलचंद, जयरूपाराम, नवाराम प्रत्येक का 1 / 30, 1 / 30 हिस्सा गलत दर्ज किया गया है उसे हटाने व उक्त आराजी में प्रार्थीया का रकबा 2.05 हैक्टेयर की अलग से तरमीम का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

3. अप्रार्थी सं 1 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खातेदार अनोपाराम, नवाराम, जेरूपाराम, केवलचंद पि. रवा जाति मेघवंशी निवासी जाखल के खातेदारी खेत खसरा संख्या 228 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से नर्मदा नहर परियोजना में 0.36 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होने के बाद शेष रही 2.34 हैक्टेयर भूमि में से 2.05 हैक्टेयर भूमि इन्द्रादेवी पत्नी प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी जाखल ने तथा 0.29 हैक्टेयर भूमि वतीदेवी व लवंगादेवी ने जरिये बैचान रजिस्ट्री खरीद की है लेकिन नर्मदा नहर अवाप्ति भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया नामान्तरकरण संख्या 990 दर्ज करते समय लिपिकीय भुलवंश अवाप्त 0.36 हैक्टेयर भूमि खातेदार अनोपाराम, नवाराम, जेरूपाराम, केवलचंद पि. रवा के हिस्से की कम करने के बजाय सथी खातेदारों के हिस्से मे से अनुपातिक कम करने से अशुद्धि हुई है। बैचान रजिस्ट्री अनुसार खसरा संख्या 228 रकबा 2.70 हैक्टेयर में से नर्मदा नहर परियोजना में 0.36 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होने के बाद शेष रही 2.34 हैक्टेयर भूमि मे से 2.05 हैक्टेयर भूमि इन्द्रादेवी पत्नी प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी जाखल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होता है। रिकॉर्ड अवलोकन अनुसार वर्तमान नवीन खसरा संख्या 2087/228 का रकबा 2.04 हैक्टेयर के बजाय 2.05 हैक्टेयर दुरूस्त होकर प्रार्थीया इन्द्रादेवी के नाम तथा वर्तमान नवीन खसरा संख्या 2088/228 का रकबा 0.30 हैक्टेयर के बजाय 0.29 हैक्टेयर दुरूस्त होकर वतीदेवी, लवंगादेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होता है। इसमें राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

4. प्रार्थीया अधिवक्ता व अप्रार्थी राज पैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। जिस पर राज पैरोकार द्वारा बहस में कोई आपति नहीं की गई।

5. हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार सांचौर के जवाब का अवलोकन किया प्रार्थीया के अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न बैचान दस्तावेज दिनांक 18.10.2019 के अनुसार प्रार्थीया इन्द्रादेवी द्वारा मौजा जाखल के खेत खसरा संख्या 228 में से 2.05 हैक्टेयर आराजी उत्तर में नर्मदा नहर दक्षिण में वगता वगैरह, पूर्व में खसरा संख्या 248 व 249 पश्चिम में खसरा संख्या 229 230, 231 पड़ौस अंकित करते हुए बैचानकर्ता अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पिसरात् रवा जातियान मेघवाल निवासीगण जाखल हाल निवासी केरिया से प्रतिफल राशि आठ लाख बीस हजार रूपये देकर खरीद की है उक्त आराजी खरीद करने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 741 से प्रार्थीया इन्द्रादेवी के नाम रकबा 2.05 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया किन्तु बैचान दस्तावेज में वर्णित पाड़ौसान के बीच की भूमि को तरमीम किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि खसरा संख्या 228 रकबा 2.70 हैक्टेयर का बैचानकर्ता अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम,

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

केवलचंद, पिसरान् रवा एकमात्र खातेदार थे जिसने बैचान दस्तावेज में पडौस अंकित कर खसरा संख्या 228 में से रकबा 2.05 हैक्टेयर आराजी की प्रार्थीया इन्द्रादेवी का बैचान किया गया है जो बैचान दरतावेज में वर्णित पडोसान बीच की भूमि को तरमीम कर नामान्तरकरण किया जाना था। उक्त आराजी खसरा संख्या 228 में से रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि नर्मदा नहर हेतु अवाप्त किये जाने उक्त आराजी में से रकबा 0.36 हैक्टेयर आराजी नर्मदा नहर में अवाप्त की गई। जिसकी मुआवजे की राशि का अवार्ड तत्कालीन खातेदारान् अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पिता रवा प्राप्त कर ली थी इस प्रकार उक्त भूमि नर्मदा नहर में अवाप्त होने के पश्चात् प्रार्थीया इन्द्रादेवी ने दिनांक 18.10.2019 को भूमि खरीद की थी जो प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजों से स्पष्ट है। उक्त नर्मदा नहर में अवाप्ति भूमि का नामान्तरकरण संख्या 990 दर्ज करते समय लिपिकीय भूलवंश नर्मदा नहर परियोजना मे अवाप्त 0.36 हैक्टेयर भूमि तत्कालीन खातेदार अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पि. रवा जाति मेघवंशी के हिस्से की कम करने के बजाय सभी खातेदारों में से अनुपातिक कम करने से खाते मे अशुद्धि होने पर प्रार्थीया के खाते में से रकबा 0.227 हैक्टेयर व वतीदेवी तथा लवंगादेवी के खाते मे से रकबा 0.038 हैक्टेयर कम दर्ज कर दी जो राजपैरोकार द्वारा पेश जवाब व प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजात् से स्पष्ट है। इस प्रकार नर्मदा नहर में अवाप्त सुदा आराजी रकबा 0.36 हैक्टेयर पूरी की पूरी तत्कालीन खातेदार अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पि. रवा के खाते में से कम की जानी चाहिए थी तथा उक्त आराजी में से अनोपाराम वगैरह का नाम हटाना चाहिए था परन्तु वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 2087/228 रकबा 2.04 हैक्टेयर, 2088/228 रकबा 0.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.34 हैक्टेयर की आराजी में अनोपाराम, नवाराम, जयरूपाराम, केवलचंद पि. रवा प्रत्येक का 1/30, 1/30 सा. देह खातेदार गलत तरिके से दर्ज होने से प्रार्थीया के पक्ष मे बैचान, दस्तावेज दिनांक 18.10.2019 में वर्णित पड़ोसान बीच की भूमि को तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि मौजा जाखल के खेत खसरा संख्या 2087/228 रकबा 2.04 हैक्टेयर, 2088/228 रकबा 0.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि में से अनोपाराम पुत्र रवा जाति मेघवाल 1/30 हिस्सा, केवलचंद पुत्र रवा जाति मेघवाल 1/30 हिस्सा, जयरूपाराम पुत्र रवा जाति मेघवाल 1/30 हिस्सा, नवाराम पुत्र रवा जाति मेघवाल 1/30 हिस्सा, सा. देह खातेदार का राजस्व रेकर्ड में से नाम हटाया जाकर वर्तमान खसरा नंबर 2087/228 रकबा 2.04 हैक्टेयर की बजाय रकबा 2.05 हैक्टेयर प्रार्थीया इन्द्रादेवी पत्नी प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी जाखल के हिस्से में

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

एवं खसरा नम्बर 2088/228 रकबा 0.30 हैक्टेयर की बजाय 0.29 हैक्टेयर वतीदेवी पत्नी हंसाराम, लंवागादेवी पत्नी खंगाराराम जाति मेघवाल निवासी जाखल के हिस्से में भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुए उक्तानुसार तरमीम करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)